नये किस्म का एच० आई० वी० वायरस

1049. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच० आई० वी० वायरस की किसी नई किस्म का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वायरस को फैलने से रोकने के लिये किन्हीं उन्नत किस्म के जांच उपकरणों का आयात किया जाना आवश्यकता समझा गया है; और

(घ) यदि हां, तो आयात हेतु प्रस्तावित उपकरणों की संख्या/किस्म और उनकी लागात का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अंतुले: (क) एच आई वी-1 वायरस के एक सबटाइप ओ का हाल ही में पता लगाया गया है।

(ख) इस नई एच आई वी-1 सबटाइप ओ को मुख्य रूप से केमरूनियन मूल के रोगियों अथवा विश्व के अन्य भागों में उनके यौन क्रिया संपर्कों से पृथक किया गया है। मौजूदा जानकारी से पता चलता है कि सबटाइप ओ वायरस, यदि कोई है, का उन की व्याप्तता क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में एच आई वी निदान और रक्त निरापदता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों का मतैक्य यह है कि रक्त निरापदता सहित मौजूदा एच आई वी एंटीबाडी जांच कार्यनीतियों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची द्वारा आदिवासी भूमि का अधिग्रहण

1050. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री नागमणि:

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए हजारों एकड़ आदिवासी भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने इस प्रकार अधिग्रहीत आदिवासी जमीन के एक बहुत बड़े भाग को अपने ही आवासीय/व्यापारिक प्रयोजनों के लिए आवंटित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आदिवासियों को उनकी जमीनों के लिए दी गई दरें और दी गयी कुल मुआवजा राशि का ब्यौरा क्या है और गैर-आदिवासियों को इन जमीनों का आवंटन किन दरों पर किया गया; और

(च) आदिवासियों को उनकी अधिग्रहीत भूमि के बदले में दिए गए अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिलवेरा): (क) और (ख) बिहार सरकार ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के लिए 1958 से 1963 के दौरान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत आदिवासियों और गैर-आदिवासियों की 6530.3 एकड़ भूमि अधिगृहीत की थी।

(ग) और (घ) कुल अधिगृहीत भूमि में से एच० ई० सी० ने भूमि का अधिकांश अपने रिहायशी/वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया है और भूमि का कोई भी हिस्सा किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं किया है।

(ङ) बिहार सरकार के भूमि अधिग्रहण विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार संबंधित आदिवासियों और गैर-आदिवासियों को पूरा मुआवजा दिया गया था। एच०ई०सी० द्वारा राज्य सरकार को दी गई कुल क्षतिपूर्ति 242.62 लाख रुपए थी।

(च) अधिगृहीत भूमि के बदले एच० ई० सी० द्वारा दिए गए अन्य लाभों के ब्यौरे निम्नप्रकार हैं:—

(1) एच०ई०सी० ने एक परिवार से एक व्यक्ति के आधार पर 2658 परिवारों को रोजगार दिया था।

(2) इस श्रेणी के और भी व्यक्तियों को एच० ई० सी० में समय-समय पर विभिन्न पदों पर रोजगार दिया गया है।

(3) हटिया के 428 विस्थापित/प्रभावित व्यक्तियों को, लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत एच० ई० सी० प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया है।

(4) विस्थापित/प्रभावित परिवारों की महिला सदस्यों को सामान्य नर्सिंग और आया का